11417 – 11419

No. 1-1/2013-Computer Application-Vol.-VI
निदेशालय अनु0जाति,अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं
विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण, हिमाचल प्रदेश।

प्रेषक

निदेशक,
अनु0जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं
विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण, हिमाचल प्रदेश, शिमला–09.

05 AUG 2021
KASUMPTI SHIM_A-9

सेवा में,

1. संपादक, दी ट्रीबयून ट्रस्ट,
   सैक्टर 29–C, चन्डीगड
2. संपादक, पंजाब केसरी,
   जोधा निवास, दी रिज, माल रोड,
   हिमाचल प्रदेश शिमला–1
3. संपादक, दिव्य हिमाचल,
   टिम्मबर हाऊस भवन,
   हिमाचल प्रदेश शिमला–1

दिनांक :– 05-08-2021

विषय :– **समाचार पत्र में सूचना प्रकाशन बारे।**

महोदय,

उपरोक्त विषय बारे मुझे यह करने के आदेश हुए हैं कि इस पत्र के साथ विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों, विधवा, एकल नारी व विशेष रूप से सक्षम से सम्बन्धित अभ्यार्थियों को **"कम्पयूटर एपलिकेशन व समवर्गीय किया–कलापों में प्रशिक्षण एंवम दक्षता"** योजना बारे विज्ञापन मसौदा जो कि इस पत्र के साथ संलग्न है कि उक्त योजना का विज्ञापन आप अपने अखबार में दिनांक **08–08–2021** से पूर्व प्रकाशित करवाने की कृपा करे।

भवदीय,

संयुक्त निदेशक,
अनु0जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक एवं
विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण, हिमाचल प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याः– उपरोक्त 11420 – 11480 दिनांकः– 05-08-2021

05 AUG 2021
KASUMPTI SHIM_A-9

प्रतिलिपिः–
1. अतिरिक्त मुख्य सचिव (सा0न्या0 एवं अ0) विभाग हि0 प्र0 सरकार को सूचनार्थ हेतु प्रेषित है।
2. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2 को सूचनार्थ एवं व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु प्रस्तुत है।
3. समस्त निदेशक/विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश को सूचनार्थ हेतु प्रस्तुत है।
4. समस्त जिला कल्याण अधिकारी हि0प्र0 को निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त योजना के अन्तर्गत आवेदन पत्र एकत्रित करना आरम्भ करें।
5. श्री महेन्द्र सिंह, (IT Programmer) को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रस्तुत है।

संयुक्त निदेशक,
अनु0जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक एवं
विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण, हिमाचल प्रदेश।

समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग –निदेशालय अनु0 जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण हि0प्र0।

कम्पयूटर प्रशिक्षण

वर्ष 2021–22 में सामाजिक न्याय एवम अधिकारिता विभाग, निदेशालय अनु0 जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण, हिमाचल प्रदेश द्वारा **"कम्पयूटर एप्लीकेशन व समवर्गी किया–कलापों में प्रशिक्षण एवं दक्षता"** योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विधवा, एकल नारी व विशेष रूप से सक्षम से सम्बन्धित उम्मीदवार जिन की आयु **18** वर्ष से 35 वर्ष के मध्य हो तथा गरीबी रेखा से नीचे रह रहे चयनित परिवारों के सदस्य हों या जिनके परिवार की वार्षिक आय 2,00,000/– रुपये से कम हो से निम्नलिखित प्रशिक्षण हेतु आवेदन आमन्त्रित किये जाते हैं:–

क्रमांक	कोर्स का नाम	प्रशिक्षण अवधि	न्यूनतम योग्यता	संस्थानो का नाम जिन द्वारा प्रशिक्षण दिया जाना है।
1	पी.जी.डी.सी.ए.	एक वर्ष	स्नातक	नाईलेट/सी–डैक
2	डी.सी.ए.	एक वर्ष	10+2	नाईलेट/सी–डैक

1. उपरोक्त कोर्स NIELIT (राष्ट्रीय ईलैक्ट्रोनिकस व सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान) संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मन्त्रालय भारत सरकार की एक स्वायत वैधानिक संस्था तथा C-DAC (सेंन्टर फोर डैवेल्पमेंट ओफ एडवांसड कम्पयूटिंग) के माध्यम से करवाये जायेंगे। सभी कोर्स **01.09. 2021** से प्रारम्भ होगें।
2. क्रमांक 1,2 पर दर्शाये गए कोर्स सभी जिला मुख्यालयों (सिवाये लाहौल स्पीति) पर दिया जायेगा।
3. प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला मुख्यालय स्तर पर आयोजित किया जायेगा। जिला लाहौल स्पीति से सम्बन्धित अभ्यार्थियों को प्रशिक्षण क्रमशः कुल्लू में दिया जायेगा।
4. चयनित उम्मीदवार को प्रशिक्षण से पूर्व एक बॉण्ड भरना होगा कि वह प्रशिक्षण को बीच में नहीं छोडेंगे तथा कोर्स पूरा करने पर वार्षिक परीक्षा में भाग लेगा तथा प्रशिक्षण को बीच में छोड़ने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम पर हुये खर्च तथा छात्रवृति की राशि विभाग को लौटानी होगी।
5. प्रशिक्षण अवधि के दौरान अभ्यार्थियों को रहन–सहन तथा खान–पान पर खर्च स्वयं वहन करना होगा।
6. प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रशिक्षण फीस विभाग द्वारा प्रस्तावित राशि अनुसार वहन की जायेगी।
7. प्रशिक्षण अवधि के दौरान अभ्यार्थियों को 1000/– रुपये प्रतिमाह छात्रवृति (1200/– रूपये प्रतिमाह विशेष रूप से सक्षम छात्रवृति) दी जायेगी बशर्ते कि उसने प्रत्येक मासिक टैस्ट में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हो तथा मासिक उपस्थिति 85 प्रतिशत से कम न हो।
8. प्रशिक्षण समाप्ति पर अभ्यार्थी को वार्षिक परीक्षा में भाग लेना होगा तथा परीक्षा शुल्क 50:50 के अनुपात में विभाग तथा अभ्यार्थी द्वारा वहन किया जाएगा ।
9. इस प्रशिक्षण कोर्स के आधार पर किसी विश्वविद्यालय/संस्थान में आगामी कोर्स में प्रवेश के लिये विभाग की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी ।

10. उतीर्ण प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण समाप्ति तथा परिणाम आने के पश्चात, एक साल के भीतर—भीतर, छः माह के लिये सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं/कार्यालयों में कार्य करके कम्पयूटर एप्लीकेशन में प्रवीणता हासिल करनी होगी जिसके लिये उसे प्रातः 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक सरकारी कार्यालय में उपस्थित रहना होगा और इस अवधि के दौरान उसे 1500/—रू0 प्रतिमाह छात्रवृति (1800/— रूपये प्रतिमाह विशेष रूप से सक्षम छात्रवृति) दी जायेगी ।
11. प्रशिक्षण उपरान्त प्रशिक्षणार्थीयों को नौकरी उपलब्ध करवाने का कोई भी दायित्व विभाग का नहीं होगा।

इच्छुक उम्मीदवार अपने आवेदन सादे कागज पर सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी को दसवीं, 10+2 तथा स्नातक कक्षा के प्रमाण —पत्र /जाति प्रमाण पत्र/ सम्बन्धित पंचायत सचिव से जारी बी0पी0एल0 प्रमाण पत्र (जो छः माह के भीतर जारी किया हो) जो आवेदक बी0पी0एल0 परिवार में चयनित नहीं हैं, वह अपना आय प्रमाण पत्र जो नायब तहसीलदार से कम रैंक के अधिकारी द्वारा जारी न किया गया हो/ हिमाचली प्रमाण —पत्र की सत्यापित प्रतियां दिनांक **22—08—2021** तक प्रस्तुत करने होंगे। अधिक जानकारी के लिये सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी / तहसील कल्याण अधिकारी से सम्पर्क करें।